कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)

"विज्ञापन"

कमांक/775 /खाद्य/2019 बीजापुर, दिनांक : 25/11/2019

छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर के अर्द्वशासकीय पत्र कमांक एफ 5–4/2018/29–1/दिनांक 19.08.2019 के अनुसार जिले में उपभोक्ता फोरम में कुल (दो पद) एक महिला एवं एक पुरूष अनारक्षित सदस्य की नियुक्ति किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से दिनांक 07.12.2019 तक आवेदन पत्र आंमत्रित किया जाता है। आवेदन कार्यालय में सीधे/या पंजीकृत डाक से दिनांक 07.12.2019 सांय 5:00 बजे तक प्राप्त किया जावेगा।

शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं :–

(1) सदस्य की आयु 35 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक न हो और उनके पास कम से कम 02 वर्ष का समय उपलब्ध हो।

(2) आवेदक स्नातक उपाधि रखता हो।

(3) आवेदक अर्थशास्त्र, वाणिज्य एंव लेखाकर्म, उद्योग, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित समस्याओं संबंधी व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान हो एवं कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो।

(4) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। बीजापुर जिले के निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होगें।

(5) नियुक्ति प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अतिम अधिकार सचिव खाद्य को होगा।

संलग्न :– आवेदन का प्रारूप।

कलेक्टर
जिला बीजापुर (छ.ग.)

पृ.कमांक/775A/खाद्य/2019 बीजापुर, दिनांक : 25/11/2019

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता,संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जिला बीजापुर को सूचनार्थ एंव दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कर कार्यालय को एक प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला बीजापुर (छ.ग.)

जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य नियुक्ति हेतु वांछित जानकारी का प्रारूप

(अन्तर्गत - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10(1))

1. पूरा नाम उपनाम सहित: ----------

2. जन्म दिनांक: ----------

3. (अ) निवास का पूरा पता: ----------

   (ब) वर्तमान व्यवसाय : ----------

4. शैक्षणिक योग्यता :- ----------

   ----

5. अनुभव(स्पष्ट विवरण के साथ) ----------
   (कम से कम 10 वर्ष का अनुभव) ----------

6. दांडिक प्रकरण यहि कोई हो: ----------
   (विवरण दें)

7. जिलाधीश का प्रतिवेदन : ----------

नोट :- 1. आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 35 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक न हो ।
2. शैक्षणिक योग्यता में स्नातक से कम न हो ।
3. अनुभव में अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, प्रशासन या लोक कार्य का कम से कम दस वर्षो का अनुभव हो ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-

मंच स्थापित करेगा अथवा यदि केन्द्र सरकरा आज्ञा प्रदान करती है तो 2 या 3 जिलों को मिलाकर एक जिला मंच स्थापित करेगा। इस आदेश के दिनांक से एक साल की समाप्ति पर संबंधित उच्च न्यायालय इस बात के लिए आजाद होंगे कि ऐसी अस्थाई वैकल्पिक व्यवस्था जो कार्यरत जिलाजज को बतौर अध्यक्ष जिला मंच बनाकर सेवा ली जा रही है समाप्त कर दें तथा राज्य सरकार। यू० टी० प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु व्यवस्था करें।

(3) अमुक आदेश की एक प्रति प्रत्येक राज्य सरकार/यू० टी० प्रशासन के मुख्य सचिवों को भेजी जाये जिसे विहित समय में विधि के उपबंधों को लागू करें और उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षा प्रदान करें।

[*कामन काज (Common Cause) बनाम भारत सरकार,* 1993 सी० सी० जे० (एस० सी०) 25 : ए० आई० आर० 1993 सु० को० 1403 (1406, 1407) : (1993) 2 एस० सी० जे० 1 (1993) 1 सी० पी० जे० 1 : (1993) 1 सी० पी० आर० 211 : 1993 सी० पी० सी० 87 : (1993) 1 सी० एल० सी० 1 उच्चतम न्यायालय]

10. जिला पीठ की संरचना—[1](1) प्रत्येक जिला पीठ निम्न से मिल कर बनेगी—

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के योग्य है, इसका अध्यक्ष होगा;

[2][(ख) दो ऐसे अन्य सदस्य जिसमें एक स्त्री होगी, जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी, अर्थात्—

(i) कम से कम पैंतीस वर्ष की आयु के होंगे,

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री हो,

(iii) योग्यता, निष्ठावान और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा-कर्म, उद्योग, लोक कार्यकलाप या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान हो और कम से कम, दस वर्ष का अनुभव हो:

परन्तु कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा यदि वह—

(क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है; या

---

1. 1993 के अधिनियम सं० 50 की धारा 8 द्वारा जोड़ा गया।
2. 2002 के अधिनियम सं० 62 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।